

धारा (4) (1) ख (vii)

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान।

वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।।

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, and the second is on the right, both appearing to be in a cursive or stylized script.